(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-2103-दो/12 विरुद्ध आदेश दिनांक 19.05.2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 524/अ-6/2008-09

शेख मुहम्मद सलीम तनय स्व. व्यंकट मिस्त्री
उर्फ शेख मुहम्मद सादिक, निवासी- वार्ड 8,
सैयद बदर्स चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर छतरपुर .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा
अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश
(आज दिनांक 20/04/2018 .....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 524/अ-6/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2011 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा भूमि खसरा नं. 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2199, 2200, 2201, 2202 कुल किता 25 कुल रकवा 19.65 एकड़ के नामांतरण हेतु संहिता की धारा-110 के अंतर्गत एक आवेदन तहसीलदार तहसील नौगांव के समक्ष प्रस्तत किया। जिस पर से तहसीलदार ने अपने आदेश

दिनांक 24.08.2007 द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के समक्ष अपील पेश की गई। जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12.08.2008 द्वारा निरस्त किया। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई। जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 19.05.2011 द्वारा निरस्त किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विवादित भूमि आवेदक के बाबा की पैत्रिक संपत्ति है। आवेदक के पक्ष में मुन्ना मिस्त्री तनय अज्जू मिस्त्री आवेदक के बाबा ने दिनांक 06.01.1986 को रजिस्ट्रीकृत वसीयतनामा संपादित किया था, तदनुसार उसका नामांतरण किया जाना चाहिए था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदन अस्वीकार करने में वैधानिक त्रुटि की गई है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि विद्वान अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी दिनांक 13.02.2009 को हो सकी। आवेदक के अभिभाषक को निणर्य दिनांक 13.02.2009 को ही नोट कराया गया था। आदेश की जानकारी के दिनांक से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय के समक्ष आवेदन की अपील समय-सीमा के भीतर थी, जिसे समय वर्जित मानकर खारिज करने में वैधानिक त्रुटि की गई है।

4. अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील विलंब से पेश की गई है। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12.08.2008 को आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील दिनांक 31.03.2009 को पेश की गई है जो प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा नकल प्राप्त होने के लगभग 27 दिन बाद विलंब से अपील पेश की है और विलंब का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों में दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण आवश्यक है जो इस प्रकरण में

नहीं है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर